रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 19, 1972/फाल्गुन 29, 1893
No. 81] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 19, 1972/PHALGUNA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March 1972

G.S.R. 197(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India, I, V. V. Giri, President of India, hereby revoke the Proclamation made by me, under the said article on the 9th March, 1972, in relation to the State of Bihar.

NEW DELHI;
The 19th March, 1972.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 14/7 BHR/72-Poll(K)]
GOVIND NARAIN, Secy.

NEW DELHI;
The 19th March, 1972.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1972

सा० सा० नि० 197 (अ).—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है ।

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व० वे० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, बिहार राज्य के संबंध में 9 मार्च, 1972 की उक्त अनुच्छेद के अधीन अपने द्वारा की गई उद्घोषणा को एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं ।

नई दिल्ली,
19 मार्च, 1972

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[संख्या 14/7/बिहार/72-पोल (के)]

नई दिल्ली,
19 मार्च, 1972

गोविन्द नारायण, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972